Chartered Flights engaged by Air India for pilgrimage

*769. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) how many Haj Chartered Flights were engaged by Air India for the Haj pilgrimage, 1995;

(b) which Airline has given the Aircraft on Charter;

(c) what are the terms of Charter and how much fare is collected from Hajis; and

(d) what are the normal fare to jeddah from Bombay and what is the subsidy given thereon?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) to (d) M/s. Tower Air, a New York based airline has been engaged to operate Haj Charter flights in 1995 to carry 30,854 Haj pilgrims over 70 flights in each direction between four points in India viz Bombay, Delhi, Calcutta and Madras and Jeddah at a contracted price of US $ 14,660,400 (approximately Rs. 42.18 crores) which covers aircraft hire, crew, all maintenance support, Hull/third party insurance and fuel. Other cost of operations estimated at Rs. 7.17 crores are to be borne by Air India.

On the basis of the above, in 1995, the total fare per Haj pilgrim has been determined as Rs. 17.500/-. Normal Economy fare on Bombay-Jeddah-Bombay is Rs. 25,875/-. Subsidy to be given, per Haj pilgrim in 1995 is yet to be decided

विद्युत क्षेत्र हेतु परिव्यय

*770. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:**
श्री अनंतराय देवशंकर दवे :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1993-94 के दौरान देश के विद्युत क्षेत्र हेतु परिव्यय की राशि में कुछ वृद्धि की है ; और

(क) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान आरम्भ की गई विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कितनी राशि आबंटित की गई है ?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) देश की वार्षिक योजना 1993-94 में विद्युत क्षेत्र के लिए अनुमोदित परिव्यय 16419.91 करोड़ रुपये था, जो वार्षिक योजना 1992-93 में 14943.93 करोड रुपये के अनुमोदित परिव्यय से 9.9% अधिक था ।

(ख) वर्ष 1993-94 के लिए विद्युत क्षेत्र के वास्ते अनुमोदित संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है, (नीचे देखिए) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान 10 विद्युत उत्पादक परियोजनाओं को निवेश संबंधी अनुमोदन प्रदान किया गया था । इन परियोजनाओ का स्वीकृत लागत समेत ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है ।

विवरण-I

योजना आयोग

(विद्युत एवं उर्जा प्रभाग)

विद्युत क्षेत्र का राज्यवार अनुमोदित परिव्यय (1993-94)

(करोड़ रुपये में

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993-94 (अनुमोदित)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश .	550.03
2.	अरुणाचल प्रदेश .	41.00
3.	असम . .	225.50

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993–94 (अनुमोदित)
4.	बिहार	388.76
5.	गोवा	12.55
6.	गुजरात	466.40
7.	हरियाणा	225.75
8.	हिमाचल प्रदेश	110.95
9.	जम्मू और कश्मीर	250.00
10.	कर्नाटक	697.02
11.	केरला	204.30
12.	मध्य प्रदेश	718.34
13.	महाराष्ट्र	888.11
14.	मणिपुर	39.80
15.	मेघालय	44.50
16.	मिजोरम	27.81
17.	नागालैण्ड	26.59
18.	उड़ीसा	390.95
19.	पंजाब	396.68
20.	राजस्थान	467.85
21.	सिक्किम	25.00
22.	तमिलनाडु	515.66
23.	त्रिपुरा	41.50
24.	उत्तर प्रदेश	1508.80
25.	पश्चिम बंगाल	331.16
	जोड़ (राज्य)	8586.21

ख. संघ शासित क्षेत्र

1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	10.01
2.	चण्डीगढ़	10.01
3.	दादर और नागर हवेली	1.52
4.	दमन और दीव	1.79
5.	दिल्ली	321.75
6.	लक्ष द्वीप	1.73
7.	पाण्डिचेरी	25.44
	जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)	372.24
	जोड़ (राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र)	8950.45
	केन्द्रीय क्षेत्र	7461.45
	अखिल भारतीय	16419.91

विवरण–II

वे परियोजनाएं जिन्हें वर्ष 93–94 के दौरान निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

क्र० सं०	परियोजना का नाम/स्थान	क्षमता (मे०वा०)	अनुमानित लागत (लाख रु० में)
1	2	3	4
	राज्य क्षेत्र		
	ताप विद्युत		
1.	रामगढ़ जी०टी० फेज–I राजस्थान	35.5	12083
2.	गुरुनानक देव टीपीएस चरण–3 पंजाब	2×210	69034

1	2	3	4
3.	बाकरेश्वर टीपीएस पश्चिम बंगाल .	5×210	305253
4.	ब्रह्मपुरम् टीजी सेट्स केरल . .	100	18100
5.	रायलसीमा विस्तार चरण–2 आन्ध्र प्रदेश .	2×210	127300
6.	कोठागुडम टीपीएस आन्ध्र प्रदेश . .	2×250	189000
	जल विद्युत		
7.	शाहपुरकण्डी पंजाब	2×40—2×40+1×8	89508
8.	पुरूलिया पीएसएस पश्चिम बंगाल . .	4×225	145656
	केन्द्रीय क्षेत्र		
	जल विद्युत		
9.	टिहरी चरण–I* उत्तर प्रदेश* . .	4×250	2.81500
10.	कोपिली के विस्तार असम . .	2×50	11100

*600 मे०वाट (4×150) की अधिष्ठापित क्षमता के लिए वर्ष 1992 में राज्य क्षेत्र की परियोजना के रूप में मूलत: स्वीकृत की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार की संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में निवेश संबंधी अनुमोदन मार्च, 1994 में प्रदान किया गया था।

Modernisation Proramme for NTC Mills

*771. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI G. G. SWELL:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether the modernisation programme for NTC mills has been approved recently by the Cabinet;

(b) if so, what is the time frame to complete the modernisation programmes

(c) the number of mills likely to be modernised; and

(d) what will be the financial source of the modernisation Plan?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (d) Government have approved a revised Turn Around Plan for the modernisation of the NTC mills involving modernisation of 79 mills at a cost of Rs. 2005.72 crores, restructuring of 36 unviable mills into 18 viable mills etc. This plan is generally in line with the plan prepared by the Textile Research Associations and the recommendations of the Special Tripartite Committee of the Ministry of Labour on NTC. The modernisation plan will be financed out of the sale proceeds of the surplus lands and assets of the NTC mills. The plan has to be put up before the BIFR for its concurrence befor implementation. The details of the plan will be laid on the Table of the house soon.